अध्याय - XVII

अन्य सूचना

1. प्रस्तावना

भारत का कोई नागरिक जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करना चाहता है, **जन सूचना अधिकारी** को लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से अधिमानत: **आवेदन प्रारूप** में अनुरोध कर सकता है ।

2. आवेदन शुल्क

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना सं. 34012 / 8 (एस) / 2005 - स्था. (बी) दिनांक 16. 09. 2005 के तहत दिए गए निदेशों के अनुसार, धारा 6 की उप-धारा (1) के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन के साथ ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के पक्ष में आहरित नई दिल्ली में देय निर्धारित आवेदन शुल्क संलग्न करना होगा। वर्तमान में, आवेदन शुल्क, जो कि समय-समय पर परिवर्तनीय है, इस प्रकार है:-

आवेदन शुल्क : 10/- रु. (दस रु. मात्र)

भुगतान की तरीका : उचित रसीद पर नकद या डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक द्वारा

गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणी के व्यक्तियों के लिए अपने कोई शुल्क देय नहीं है, बशर्ते कि उनके दावों के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज संलग्न किए जाते हैं। यदि शुल्क का नकद भुगतान किया जाता है तो वह कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा कराया जा सकता है और उसकी रसीद सूचना हेतु आवेदन के साथ संलग्न की जानी चाहिए।

3. अतिरिक्त शुल्क

यदि सूचना उपलब्ध कराने का निर्णय ले लिया गया है, अनुरोधकर्ता को मांगी गई सूचना के लिए उनके द्वारा जमा किए जाने वाले अपेक्षित अतिरिक्त शुल्क के संबंध में सूचना दी जाएगी और और अनुरोधकर्ता द्वारा शुल्क जमा करने के उपरांत अधिनियम के अनुसार सूचना दी जाएगी ।

उपर उल्लिखित दिनांक 16. 09. 2005 की राजपत्र अधिसूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार, इस अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के अंतर्गत सूचना उपलब्ध करवाने के लिए, अतिरिक्त शुल्क प्रभारित किया जाएगा । वर्तमान में, लागू दरें, जो कि समय-समय पर परिवर्तन के अध्यधीन हैं, इस प्रकार है :-

क.	तैयार किए गए या प्रतिलिपि बनाई गयी प्रत्येक पृष्ठ (ए-4 अथवा ए-3 साइज)	लिए 2/-रु. प्रति पृष्ठ

ख.	बड़े आकार के पृष्ठ के लिए	वास्तविक प्रभार या लागत मूल्य
ग.	प्रतिदर्श या मॉडल के लिए	वास्तविक लागत या मूल्य
घ.	अभिलेख देखने के लिए	प्रथम घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं; और बाद के प्रत्येक घंटे के लिए पॉच रुपये का शुल्क (या उसका भाग)

इसके अलावा, इस अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (5) के अंतर्गत सूचना उपलब्ध करवाने के लिए, निम्नलिखित दरों पर शुल्क प्रभारित किया जाएगा :-

क.	डिस्क या फ्लॉपी में प्रदत्त सूचना हेतु	प्रति डिस्क या फ्लॉपी 50 (पचास) रुपये
ख.	मुद्रित प्रारूप में प्रदत्त सूचना हेतु	ऐसे प्रकाशन के लिए निर्धारित मूल्य या प्रकाशन से उद्धरण के लिए फोटोकॉपी के प्रत्येक पृष्ठ के लिए 2 रुपया प्रति पृष्ठ

ऊपर उल्लिखित

उपर उल्लिखित अतिरिक्त शुल्क के भुगतान की विधि आवेदन शुल्क की तरह ही होगी ।

4. **अनुरोध अस्वीकार करने के कारण**

निम्नलिखित श्रेणी के अंतर्गत आने वाले किसी सूचना/दस्तावेज की आपूर्ति के अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है :-

- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 के प्रावधानों के तहत यदि छूट-प्राप्त है
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सरकार के अलावा किसी व्यक्ति के प्रतिलिप्याधिकार के अतिलंधनकारी

किसी व्यक्ति अथवा राज्य के सर्वाधिकार (कापी राइट) के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (धारा 9)

5. **सूचना प्राप्त करने की समय सीमा**

- आवेदन की तिथि से 30 दिन।
- किसी व्यक्ति के जीवन और स्वातंत्र्य से संबंधित सूचना के लिए 48 घंटे
- यदि अन्य पक्षकार की अभिरूचि शामिल है तब समय सीमा 40 दिन की होगी (अधिकतम अवधि + पक्षकार को अभ्यावेदन करने के लिए दिया गया समय)

- निर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना प्रदान करने में विफलता को अस्वीकृति मानी जाएगी।

6. **अपील**

यदि अनुरोधकर्ता इस अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) या उप-धारा (3) के खंड (क) में जो निर्दिष्ट समय सीमा में निर्णय नहीं प्राप्त करता है, अथवा जन सूचना अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट है, जैसा भी मामला हो, ऐसी अवधि की समाप्ति के तीस दिनों के अंदर, शिकायत के निवारण हेतु अपीलीय अधिकारी को अपील कर सकता है ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट www.persmin.gov.in अथवा www.righttoinformation.gov.in देखें ।